"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 76] रायपुर, शुक्रवार दिनांक 5 अप्रैल 2002 चैत्र 15, शक 1924

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10 -20/2002 / वाक / पांच (44)— छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 4-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-20/2002/वाक/पांच (22) दिनांक 28-2-2002 में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

अधिसूचना की अनुसूची में कालम (3) में शब्दों "सभी प्रकार के फैरो एलायज" के स्थान पर शब्दों "हाई कार्बन फरो मैन्गनीज और हाई कार्बन फरो सिलिको मैन्गनीज (सिलिको मैन्गनीज)" को 28-2-2002 की प्रभावशीलता से प्रतिस्थापित किया जायेगा .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल, 2002

क्रमांक एफ-10-20/2002 /वाक/पांच—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-20/2002 / वाक/पांच (44) , दिनांक 5-4-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 5th April, 2002

NOTIFICATION

No.F-10-20/2002/CT/V (44).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 4 -A of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby makesh the following amendment in this departmental Notification No.F-10-20/2002/CT/V (22) dated 28-2-2002, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule to the said Notification in column (3) for words "All kind of Fero Alloys", the words " High carbon ferro manganese and High carbon ferro silico manganese (Silico manganese)" Shall be substituted w.e.f. 28-2-2-2002.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISARA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10 -7-2002 / वाक / पांच (45).— चूंकि राज्य शासन का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/7/2002/वा.क./पांच (3) दिनांक 23-1-2002 में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

(1) अधिसूचना में प्रविष्टि (1) में कालम (5) में शब्द "उपचार" के पूर्व शब्द "निशुल्क" अंतःस्थापित किया जायेगा.

(2) अधिसूचना में परिशिष्ट में शब्द "उपचार" के पूर्व शब्द "निशुल्क" अंतः स्थापित किया जायेगा.

(3) उपरोक्त संशोधन दिनांक 23-1-2002 से प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ-10-7-2002/वा क/पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 10-7/2002/वाक/पांच (45), दिनांक 5-4-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 5th April 2002

NOTIFIICATION

No.-F-10-7-2002/CT/V (45).—In exercise of powers conferred by section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) (hereinafter referred to as Adhiniyam), the state government hereby amends the Notification No.F-10-7/2002/CT/V (3) dated 23-1-2002 as given below :–

AMENDMENT

1. In the Schedule to the Notification in entry No. (1) in column (5) after word " patients" , the words "free of charge" shall be inserted.
2. In the Notification, in the Appendix, after word "patients", the words" free of cost " shall be inserted.
3. Above amendments shall be effective from 23-1-2002.

By order and in the name of the Governor the Chhattisgarh,
K.R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10-31/2002 / वाक / पांच (46)— छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की अनुसूची - 2 के संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रस्तावित करती है, उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है , प्रकाशित किया जा रहा है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 5 दिवस के अवसान होने के पश्चात् विचार किया जायेगा .

किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट दिनांक से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा :-

प्रारूप संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में, भाग 3 में -

1. अनुक्रमांक 36 में कॉलम (2) में शब्द "सूटकेस" विलेपित किया जाएगा .

2. अनुक्रमांक 49 में कॉलम (2) में शब्द "केश तेल" विलोपित किए जाएंगे .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ-10-31/2002/वा.क./पांच— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 10-31/2002/वा.क./पांच (46), दिनांक 5-4-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 5th April 2002

NOTIFICATION

No. F-10-31/2002/CT/V (46)—The following draft amendments of Schedule II of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No.5 of 1995), which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the said Adhiniyam, is published as required by the second proviso to the said sub-section, for information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of five days from the date of publication of this Notification in the Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the date specified above, shall be considered by the State Government :

DRAFT AMENDMENTS

In part III of the Schedule II of the said Adhiniyam-

1. in serial number 36 in column (2) the word " suitcases "shall be deleted.
2. in serial number 49 in column (2) the words "Hair Oils" shall be deleted.

By order and in the name of the Governor the Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2002.